न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 57/2017 **दायरा दिनांक : 08.05.2017**

उनवान

1— बालू सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डोडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— सुगनबाई बेवा स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डोडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— सुमित्राबाई पुत्री स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डोडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

4— सरेकुंवरबाई पुत्री स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी डोडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रामकुंवर पूर्व पत्नी स्वर्गीय श्री भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी झीकडिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

2— नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री मांगूसिंह, जाति राजपूत, निवासी डोडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मोहम्मद मन्सूर आलम अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की

ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 212/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकुंवर ने अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम डोडी, तहसील गंगधार में जमाबंदी सम्वत 2070–73 में खाता संख्या 224 में खसरा नम्बर 494 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 529 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 531 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1266 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1267 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1279 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1346 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1429 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1580 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1581 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1582 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1583 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1599 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1602 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1603 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1654 रकबा 10 बिस्वा कुल 16 किता की 13 बीघा 1 बिस्वा व खाता संख्या 311 के खसरा नम्बर 1281 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1601 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता की 1 बीघा 18 बिस्वा, एवं खाता संख्या 316 की खसरा नम्बर 1657 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1658 रकबा 3 बीघा

15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1752 रकबा 3 बिस्वा कुल 3 किता की 5 बीघा आराजी वादिया के शामलाती खाते में स्थित है । वादिया का हिस्सा पति की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ उनका दूसरा विवाह सुगना बाई से हुआ था । वादिया का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है । अतः वादिया का दावा स्वीकार कर 1/2 हिस्सा पृथक से वादिया के हिस्से में दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.06.2016 को दावा वादिया डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारान की उपस्थिति के तथा बिना किसी राजीनामे के दावा डिक्री किया है । सी पी सी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.04.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारान की उपस्थिति के बिना किसी राजीनामे के दावा डिक्री किया है । सी

पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो वादी उपस्थित हुआ है और न ही प्रतिवादी उपस्थित हुआ है और न किसी प्रकार का राजीनामा पक्षकारों के द्वारा पेश किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.07.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा